



2026:AHC:26641-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 314 सन् 2026

अरशद चौहान @ अरशद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : सत्येंद्र नारायण सिंह, राजेश शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सीमा अग्रवाल (एस.सी.)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका कथित तौर पर जनहित में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें अधिकारियों को शामली जिले के कैराना के ईसापुर खुरगन गांव में स्थित खसरा संख्या 553 और 554 पर कथित अवैध खनन को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

2. लीज-डीड की शर्तों के आधार पर प्रस्तुतियां दी गई हैं कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

3. रिकॉर्ड के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायतों की प्रकृति पूरी तरह से अलग है, जिसमें गलत तरीके से पट्टा प्राप्त करने और निर्धारित क्षेत्र से परे खनन करने की संभावना के संबंध में आरोप लगाए गए हैं और खसरा संख्या 553 और 554 बिजली लाइन के करीब हैं और खनन पट्टा देने से पहले से ही अनिश्चित सड़कों को नष्ट कर दिया जाएगा।

4. याचिकाकर्ता ने पहले रिट-सी संख्या 45133 सन् 2025 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसे 05.01.2025 को पहले ही खारिज कर दिया जा चुका है।

5. किसी विशिष्ट कारण/आधार के बिना जनहित याचिका दायर करने और अस्थिर रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात्, अभ्यावेदन में अलग-अलग आरोप और याचिका में अलग-अलग आधार।

6. याचिका का कोई सार नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"